

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- संस्था /जा./2018-19/ 2281

दिनांक:-04-01-2019

विज्ञप्ति

नगर निगम, उदयपुर में "कानूनी प्रकरणों" में 12 माह की अवधि के लिए अधिवक्ता जिसे नगर निगम में होने वाले कानूनी प्रकरणों का अनुभव हो से परामर्श सेवाएँ ली जानी है।

अतः RTPP रूल्स 2013 के नियम 17 के तहत एकल श्रोत उपापन पद्धति अनुसार इच्छुक अधिवक्ता " 3 दिवस में " अपना आवेदन मय परामर्शी-शुल्क कार्यालय समय में संस्थापन शाखा में प्रस्तुत करें।



आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर